# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

| तारीख हुकम | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>आम जनता मोरोली जरिये रामस्वरूप व अन्य<br>बनाम<br>तहसीलदार सिकराय व अन्य<br>नामान्तरकरण अपील<br>प्रकरण सं. – 33/2018 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.09.2019 | अधिवक्ता अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति व मूल अपील की सुनी गई। आदेश सुनाया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि आवंटन आदेश दिनांक 24.07.1987 की पालना में नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 300 दिनांक 30.05.1990 ग्राम मोरोली तहसील सिकराय तस्दीक किया गया। किन्तु उक्त आवंटन आदेश दिनांक 24.07.1987 माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 3.3.1992 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इसलिये उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण तो स्वतः ही खारिज है। जब मूल आवंटन आदेश खारिज किया जा चुका है तो अपीलान्ट्स द्वारा उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी (रेस्पोडेन्ट्स) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति तथा अपील अपीलान्ट्स खारिज किया जाना उचित समझते है।<br><br>उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (रेस्पोडेन्ट्स) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति तथा अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। तहसीलदार सिकराय को निर्णय की प्रति भिजवाकर निर्देश है कि माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 3.3.1992 की नियमानुसार पालना की जावे। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>अति0 जिला कलक्टर<br>दौसा<br>अति0 जिला कलेक्टर<br>दौसा | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official